न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03 / 2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 89

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गमान राम पारिक पुत्र सादुलाराम
जाति–मेघवंशी, निवासी–जाखल,
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 23.06.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया है वांके सरहद मौजा जाखल पटवार हल्का जाखल में मुझ प्रार्थी का पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नंबर 2029 / 868 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म जवा दोयम, खसरा संख्या 865 रकबा 0.04 हैक्टैयर किस्म गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नंबर 866 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नंबर 867 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा जुमले रकबा 0.63 हैक्टेयर का आया हुआ है। मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज में मेरा नाम गमानराम पारिक पुत्र सादुलाराम जाति–मेघवंशी, साकिन–जाखल दर्ज है। जबकि उक्त राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय भुलवंश मेरा नाम घमण्डाराम पुत्र सादुला जाति मेघवंशी दर्ज किया गया है इसलिए मैं अपनी खातेदारी की भूमि के तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहता हुं। मैं अपने समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज व मेरे द्वारा स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र जिसमें मेरा सही नाम गमान राम पारिक पुत्र सादुलाराम जाति मेघवंशी दर्ज है साथ संलग्न प्रस्तुत कर रहा हुं जिसके आधार पर मेरे राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम परिवर्तन किया जावें। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सांचौर को फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है ताकि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हो सकें। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त नाम परिवर्तन करवाने हेतु आदेश जारी फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी [illegible]र किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिल तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर [illegible] नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] का नाम उनके पिता सादुला के फौत होने पर ना.क. 247 के द्वारा घमण्डाराम दर्ज हुआ है जिसका अमलदरामद 2058–61 जमाबंदी में किया गया है। जमाबंदी 2074–77 में खाता 220 के खातेदारों में [illegible] बंटवाड़ा में भी नाम घमण्डाराम दर्ज है। जिसका नामान्तरकरण 818 के द्वारा नया खाता भी तदनुसार घमण्डाराम नाम से दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पेन कार्ड, आर.सी., जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी में सही नाम गमनाराम पारीक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वयं का शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत जाखल का प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी के भाई मसराराम, बाबुराम, केवलाराम आसुराम, जोईताराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

साक्ष्य सहमति हस्ताक्षर है तथा सही नाम गमानराम पारीक होना बताया। सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया है कि सही नाम गमानराम है तथा सादुला के कोई घमण्डाराम नाम का पुत्र नही है। मजमेआम पुछताछ पर पता चला कि सादुला के अन्य कोई घमण्डाराम नाम का पुत्र नहीं है तथा छः पुत्र है जिसमें गमानराम का ही नाम गलती से घमण्डाराम लिखा गया है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज सरपंच का प्रमाण–पत्र भाईयों की सहमति एवं मजमें आम पुछताछ पर सही नाम गमानराम ही है।

हमने उभयपक्षकरान् की बहस सुनी अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज में मेरा नाम गमानराम पारिक पुत्र सादुलाराम जाति–मेघवंशी, साकिन–जाखल दर्ज है। जबकि उक्त राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय भुलवंश मेरा नाम घमण्डाराम पुत्र सादुला जाति मेघवंशी दर्ज किया गया है इसलिए मैं अपनी खातेदारी की भूमि के तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि में प्रार्थी का नाम परिवर्तन करवाने का आदेश फरमावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड तथा शपथ–पत्र का गहनता से अध्ययन कर अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा जाखल पटवार हल्का–जाखल के खेत खसरा संख्या 2029/868 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा संख्या 865 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 866 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 867 रकबा 0.01 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम घमण्डाराम पुत्र सादुला की बजाय गमानराम पारिक पुत्र सादुलाराम के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **10.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested